

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

8 तारीख दायर... 04/03/2020 दिनांक निर्णय... 10/07/2020

उन्वान

पटवारी पटवार हल्डा बीघोता बनाम गंगाधर

आज पत्रावली मु. न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप./अनु. जवाब किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स-206-20.7.6.....का या कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि-

गैरसायल गंगाधर पुत्र काना
जाति मीना निवासी बीघोता को
आराजी खसरा नं. 728, 729, 731 रकबा 0.10, 0.37, 0.40 किस्म चारागाह...वाके ग्राम बीघोता
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान... 1.74की 50गुणा में मु.
871/- सबाही रूपये मात्र कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 10 पर या. नं. 87/-
राशि कायम किये गये। उ. नि. 1740/-

पिबठ
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)